



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने व गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व ₹5,500 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना चिकासी में पंजीकृत मु0अ0सं0-875/2014 धारा-308,325,323,336,341,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरी सिंह पुत्र मुरलीधर लोधी निवासी ग्राम बिलगाँव डाडा, थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कारावास व ₹5,500 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 रामाश्रय
यादव



पैरोकार- थाना चिकासी
का0 विजय